Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu & Sh. Manmeet Singh Sidhu, Partners of M/s Himachal Chemicals & Silicate Works, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 85,000 MT/year at Khasra Numbers 2639, 2642, 2643, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656 & 2657 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 06-85-65 Hectares (Private Land, Terrace & River Bed of Hum Khadd), on 25/07/2025 at 11:30 AM at Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu & Sh. Manmeet Singh Sidhu, Partners of M/s Himachal Chemicals & Silicate Works, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 85,000 MT/year at Khasra Numbers 2639, 2642, 2643, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656 & 2657 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 06-85-65 Hectares (Private Land, Terrace & River Bed of Hum Khadd), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 25/07/2025 at 11:30 AM at the Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, Mining Officer Una, RTO Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Chandigarh Pollution Testing Laboratory, Mohali (Punjab) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.		issues raised/buggestions sussessing	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Smt. Anupam Rana, Pradhan, Gram	She informed that due to the water flowing in the Hum Khad, the land and fields of the local residents adjoining the	Proponent stated that they are

Panchayat Bathari, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	due to the mining carried out in the Khad, there was extensive damage in the area during the flood that occurred in the Khad last year. Therefore, she demanded that at all the places where mining activities have been carried out in the Khad, retaining walls or channelization should be done on the banks of the Khad so that in the future the fields of local people can be protected from potential damage.	fully prepared to take necessary action on all the suggestions received in today's proceedings. He said that in accordance with the directions to be given by the Hon'ble ADC, whatever proposals are prepared, whether they relate to the safety of the ground or to structural safety against floods, he is ready to bear all the expenses incurred on them.
Sh. Manjeet Singh, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He suggested that the work of channelization in the Khad should be carried out from the downside, where the bridge is located, up to the point where the gas pipeline passes through the Khad. He also said that after the mining work, plantation should be carried out there. He mentioned that proper management of water drainage in the Khad is extremely necessary. If the drainage of water is not done properly, its flow will become uncontrolled and spread here and there, which may cause serious damage to the nearby industries.	The consultant of the project proponent, while responding regarding plantation, said that erosion can be prevented through plantation, and this work is already included in the mining plan of the proposed mining project. He said regarding channelization for flood prevention in the Khad that whatever proposal will be prepared in this regard, the project proponent will contribute to it to the maximum extent possible.
3. Smt. Surekha Rani, Pradhan, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	out and it results in the formation of deep pits, then after the completion of	out on them.
4. Sh. Pratap Singh Gram Panchaya Bathari, Tehsi	He said that he has some questions t regarding the proposed mining project	

	Haroli, (HP)	Distt.		that mining is linked with development because minerals are required for the construction of roads, bridges, etc., and for this, mining is necessary, but the mining work should be carried out in accordance with the rules. Where trees and plants are damaged due to mining, proper compensation should be provided, although according to him, there is some shortfall in this regard. He suggested that industries should also be included in such programs because they also affect the environment. The damage caused by smoke and water discharged from these industries has to be borne by the local villagers. He said that next time whenever such a program is held, those industries which cause problems and the affected people should be included and heard. In the end, he said that the groundwater level of Bathu-Bathri Panchayat is decreasing day by day and requested the concerned department to pay attention to	
5.	Sh. M Gram Bathu, Haroli, (HP)	Pan	Singh, achayat Tehsil . Una	this and take necessary action. He said that mining work is continuing on a large scale in this area. Due to mining, the road leading to his village Kailua has been closed, and the road being constructed from the upper side has also not been fully completed. Pits as deep as 100 feet have been dug due to mining, which are not being filled with soil, as a result of which neither people and children can pass through there nor animals. Several animals have died after falling into these pits. He said that because of this mining, there is now no route available for them to go to Kailua from the lower side. This route has been blocked near the crusher due to mining, and the road which was being constructed from the upper side was also not allowed to be completed further. He requested that attention be given to this matter and informed that he has also	
,			na, Ex-	prepared a written application in this regard, which will be submitted to the Chairperson. He said that the mining work previously	

Pancha	iyat	Bathu,
Tehsil	Haroli	, Distt.
Una (F	IP)	

in a scientific manner, and most of the villagers have complaints in this regard. He said that officials never visit the sites to see the situation, and only when a disaster occurs do they come to see how the mining was done. He said that although legal mining is not being carried out in the area, he still requested that any mining to be done in the future should be carried out scientifically.

Based on his personal experience, he said that the environment and weather of our area have changed, and the temperature from our village Bathu-Bathri to Tahliwal has possibly increased by about 2 degrees compared to other areas, and this has happened more due to unscientific mining than industries.

He objected by saying that before any mining is carried out in the future, the condition of the previously mined sites should be inspected, and if permission is granted for new mining activity, it should be inspected from time to time. He also said that this mining is carried out on the banks of Hum Khad, whose flow is repeatedly altered during mining. He emphasized that the flow of the Khad should not be changed and should be maintained in its original position. In the end, he said that people have strong objections to unscientific mining,

and his request is that unscientific

starting any mining work, a mining plan is approved by the State Geologist, which has already been approved for this proposed mining project. He assured that under the proposed mining project, the mining work will be carried out in a scientific manner and strictly in accordance with the mining plan approved by the State Geologist.

Sh. Kamal Saini, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

mining should be stopped. He said that the Consultant of the Project Proponent has provided detailed information regarding the proposed mining project, which includes details related to air quality, water quality, and noise pollution. He asked what the standard parameters for air, water, and noise quality are and what the current values (observed during monitoring) were found to be in the monitoring conducted by the consultant. He also asked what action can be taken if any parameter is found to be above the prescribed limit. He said that a copy of the mining plan of the proposed mining project, which includes the standard parameters for air, water, etc., and the currently observed values, should also

The Consultant of the Project Proponent, while providing information, stated that a notification was issued by the Ministry of Environment and Forests on 16 November under which 2009. National Ambient Air Quality Standards were prescribed. These include a limit of 100 micrograms per cubic meter for PM₁₀, 60 micrograms per cubic meter for PM2.5, 80 for SO₂, 80 for NOx, and 4000 for CO. He informed that as per the tests conducted by the Chandigarh Pollution Testing Laboratory, the air quality

7.

be provided to him.

He further asked how many feet deep the mining will be carried out in the proposed mining project and what type of machinery can be used to carry out this mining. He also wanted to know how the mining will be done—whether it will be phased (stepwise) or deep mining. Along with this, he asked how much area will be mined, how much area will be filled and planted with trees. and when further mining will be carried out thereafter. He said that people should be educated regarding all these matters. In the end, he again requested that a copy of the prepared report of the proposed plan be provided to him.

here is in accordance with the national standards and has been found to be quite good. He further said that the proposed mining work will be carried out in three phases (steps-benches) of 4 meters each. This mining work will be carried out strictly in accordance with the mining plan approved by the State Geologist.

During the course of the public hearing proceedings and even after the program, the following letters were received:

- An objection letter received from Shri Raj Kumar and others, residents of village Kailua, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.), regarding the proposed mining project. Copy enclosed as Annexure-II.
- Objections received through email on 26.07.2025 from Sh. Rohit Katwal, S/o Sh. K.P. Singh, VPO Badhera, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP), regarding the proposed mining project, and the information received through an email sent by him on 28.07.2025 regarding the withdrawal of the aforesaid objection letter. Copy enclosed as Annexure-III.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar Additional Deputy Commissioner Una, Distt. Una (HP) श्री जसजीत सिंह सिद्धू एवं श्री मनमीत सिंह सिद्धू, पार्टनर्स, मैसर्ज हिमाचल केमिकल्स एंड सिलिकेट वर्क्स, गांव व डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश), के द्वारा खसरा संख्या 2639, 2642, 2643, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656 एवं 2657, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 06—85—65 हैक्टेयर (निजी भूमि, हुम्म खड़ का टैरेस व नदी तल) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 85,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 25.07.2025 को सुबह 11:30 बजे, श्री जसजीत सिंह सिद्धू एवं श्री मनमीत सिंह सिद्धू पार्टनर्स, मैसर्ज हिमाचल केमिकल्स एंड सिलिकेट वर्क्स, गांव व डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश), के द्वारा खसरा संख्या 2639, 2642, 2643, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656 एवं 2657, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 06—85—65 हैक्टेयर (निजी भूमि, हुम्म खड़ का टैरेस व नदी तल) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 85,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, गांव एवं डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ — 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, खनन अधिकारी ऊना, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट परिशिष्ट — के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्ज चंडीगढ़ पोल्यूशन टेस्टिंग लेबोरेटरी, मोहाली (पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्रीमती अनुपम राणा,	उन्होंने बताया कि हुम्म खड्ड में बहने वाले पानी के कारण	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता
	प्रधान, ग्राम पंचायत	खडु के साथ लगती स्थानीय निवासियों की भूमि एवं	द्वारा बताया गया कि आज की इस
	बाथड़ी, तहसील	खेतों को क्षति पहुँचती है। उन्होंने यह भी बताया कि खडु	कार्यवाही में प्राप्त होने वाले सभी
	हरोली, जिला ऊना	में हुए खनन से गत वर्ष खड़ में आई बाढ़ के चलते क्षेत्र	सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु वह
	(हि.प्र.)	में व्यापक नुकसान हुआ था। अतः उन्होंने यह मांग रखी	पूर्णतः तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि
		कि जहां-जहां खडु में खनन गतिविधियाँ की गई हैं, उन	माननीय एडीसी महोदय द्वारा दिए
		स्थलों पर खड्ड के किनारों पर डंगा अथवा चनैलाइजेशन	जाने वाले निर्देशों के अनुरूप जो भी
		किया जाए, ताकि भविष्य में स्थानीय लोगों के खेतों को	प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, चाहे वे
		संभावित क्षति से सुरक्षित रखा जा सके।	ग्राउंड की सुरक्षा से संबंधित हों या
			बाढ़ से संरचनात्मक सुरक्षा हेतु, उन
			पर आने वाले समस्त व्यय को वह
			वहन करने के लिए तैयार है।

-tme

2.	श्री मंजीत सिंह, ग्राम पंचायत बाथू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने सुझाव दिया कि खड़ में चैनलाइजेशन का कार्य नीचे पुल से लेकर ऊपर तक उस स्थान तक किया जाना चाहिए, जहाँ से गैस पाइपलाइन खड़ के भीतर से होकर गुजरती है। उन्होंने यह भी कहा कि खनन कार्य के उपरांत वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने यह उल्लेख किया कि खड़ में पानी की निकासी का समुचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। यदि पानी का निकास ठीक प्रकार से नहीं होगा, तो उसका बहाव अनियंत्रित होकर इधर—उधर फैलेगा, जिससे आस—पास स्थित उद्योगों को गंभीर क्षिति पहुँचने की संभावना है।	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने वृक्षारोपण के संबंध में उत्तर देते हुए कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से कटाव को रोका जा सकता है, और यह कार्य प्रस्तावित खनन परियोजना के माइनिंग प्लान में पहले से ही सम्मिलित है। उन्होंने खडु में बाढ़ की रोकथाम हेतु चनैलाइजेशन के संबंध में कहा कि इस विषय में जो भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, उसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथासमव योगदान दिया जाएगा।
3.	श्रीमती सुरेखा रानी, प्रधान, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि यदि खनन कार्य किया जाता है और उससे गहरे गड्ढे बनते हैं, तो खनन पूर्ण होने के उपरांत उन गड्ढों को भर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इन स्थलों को तारबंदी द्वारा सुरक्षित किया जाए तािक यह स्पष्ट रूप से चिन्हित रहे कि वहां खनन कार्य चल रहा है। इससे न केवल आम नागरिकों को जानकारी रहेगी, बल्कि पशुओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में ऐसे गड्ढों में कई पशु गिर चुके हैं, जिससे परियोजना प्रस्तावक और पंचायत प्रधान दोनों को समस्या का सामना करना पड़ा है। अतः, उन्होंने पुनः यह मांग दोहराई कि खनन के पश्चात सभी गड्ढों को समुचित रूप से भर दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर देते हुए कहा कि जैसा कि पूर्व में बताया गया है, खनन के दौरान सामग्री निकालने पर अपशिष्ट सामग्री (Waste Material) भी निकलेगी, जिसका उपयोग गड्ढों को सरने में किया जाएगा। इन गड्ढों को समतल करने के उपरांत उन पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा।
4.	श्री प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना के संदर्भ में उनके कुछ प्रश्न हैं तथा इससे होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में भी वह अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि खनन विकास से जुड़ा हुआ है क्योंकि सड़क, पुल आदि के निर्माण के लिए खनिज सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए खनन करना आवश्यक है, किंतु खनन का कार्य नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। जिस स्थान पर खनन से पेड़—पौधों को नुकसान होता है, उसकी उचित भरपाई की जानी चाहिए, हालांकि उनके अनुसार इसमें कुछ कमी की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में उद्योगों को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन उद्योगों से निकलने वाले धुएँ और पानी के कारण होने वाले नुकसान को स्थानीय ग्रामीणों को सहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो उन उद्योगों को, जिनसे समस्या उत्पन्न होती है, तथा प्रभावित लोगों को शामिल किया जाए और उन्हें सुना जाए। अत में उन्होंने कहा कि बाथू—बथड़ी पंचायत का भू—जल स्तर दिन—प्रतिदिन कम होता जा रहा है और संबंधित विभाग से आग्रह किया कि इस ओर ध्यान दिया जाए आधाअवश्यक कार्यवाही की जाए।	
5.	श्री मोहित सिंह राणा, ग्राम पंचायत बाध्यू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि इस इलाके में खनन का कार्य बड़े पैमाने पर जारी है। खनन के कारण उनके गाँव कैलुआ को जाने वाला मार्ग बंद हो गया है और ऊपरी की तरफ से बनने वाला सड़क मार्ग भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है। खनन से 100-100 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए हैं,	
		जिन्हें मिट्टी से भरा नहीं जाता, जिसके कारण न तो वहाँ से लोग और बच्चे आ—जा सकते हैं और न ही पशु। इन	

19 :				
			गड्ढों में गिरकर कई पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी खनन के कारण अब उनके पास कैलुआ जाने के लिए नीचे की तरफ से कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता खनन के कारण क्रशर के पास अवरुद्ध कर दिया गया है और जो सड़क ऊपर से बन रही थी, उसे आगे बनने नहीं दिया गया। उन्होंने इस विषय पर ध्यान देने का आग्रह किया और बताया कि इस संबंध में उन्होंने एक लिखित आवेदन भी तैयार किया है, जो अध्यक्ष महोदय को दिया जाएगा।	
700	6.	श्री के. के. राणा, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि इस गांव में पूर्व में जो खनन कार्य हुआ है, वह वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया है और इस संबंध में शिकायत अधिकांश ग्रामीणों की रहती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कभी भी मौके पर जाकर स्थिति नहीं देखते, और जब कोई आपदा आती है तभी. यह देखने जाते हैं कि खनन किस प्रकार हुआ था। उन्होंने कहा कि यद्यपि क्षेत्र में कानूनी खनन नहीं किया जा रहा है, फिर भी अनुरोध किया कि भविष्य में जो भी खनन किया जाए वह वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा कि हमारे क्षेत्र का पर्यावरण और मौसम बदल गया है, तथा हमारे गांव बाथू—बथड़ी से लेकर तहलीवाल तक का तापमान संभवतः अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है और यह उद्योगों से अधिक अवैज्ञानिक खनन के कारण हुआ है। उन्होंने आपित दर्ज करते हुए कहा कि भविष्य में जो भी खनन किया जाए, उससे पहले पूर्व में हुए खनन स्थलों की स्थिति का निरीक्षण किया जाए और यदि नई खनन गतिविधि को अनुमित दी जाती है तो उसका समय—समय पर निरीक्षण किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर देते हुए कहा कि किसी भी खनन कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व एक खनन योजना (Mining Plan) को राज्य भूवैज्ञानिक द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो इस प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए अनुमोदित कराई जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के अंतर्गत खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से तथा राज्य भूवैज्ञानिक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जाएगा।
/			उन्होंने यह भी कहा कि यह खनन हुम्म खड़ के किनारे किया जाता है, जिसकी धारा खनन करते समय बार—बार बदल दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खड़ की धारा में कोई परिवर्तन न किया जाए और उसे अपनी पुरानी स्थिति में ही बनाए रखा जाए। अंत में उन्होंने कहा कि लोगों को अवैज्ञानिक ढंग से किए जाने वाले खनन पर कड़ी आपत्ति है और मेरा अनुरोध है कि अवैज्ञानिक खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए।	
2014	7.	श्री कमल सैणी, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि पिरयोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने प्रस्तावित खनन पिरयोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता तथा ध्विन प्रदूषण से संबंधित विवरण शामिल हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि वायु, जल और ध्विन गुणवत्ता के लिए मानक पैरामीटर क्या हैं तथा परामर्शदाता द्वारा की गई मॉनिटिरंग में वर्तमान मान (Present Value) क्या पाए गए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि कोई पैरामीटर निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो इस प्र क्या कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना का खनन योजना (Mining Plan), जिसमें वायु, जल आदि के मानक पैरामीटर और वर्तमान प्रेक्षित मान सम्मिलित हैं, उसकी एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आगे पूछा कि प्रस्तावित खनन परियोजना में खनन कितने फीट तक किया जाएगा और इस खनन को करने के लिए किस प्रकार की मशीनरी का उपयोग किया	परियोजना के परामर्शदाता ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2009 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standard) निर्धारित किए गए हैं। इनमें PM10 की सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, PM2.5 की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, SO2 की सीमा 80, NOx की सीमा 80 तथा CO की सीमा 4000 निर्धारित है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला

जा सकता है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि खनन किस प्रकार किया जाएगा — क्या यह चरणबृद्ध (Stepwise) होगा या गहरा (Deep) खनन होगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि यह खनन कितने क्षेत्र में किया जाएगा, कितने क्षेत्र को भरकर वृक्षारोपण किया जाएगा और उसके बाद आगे खनन कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों के संबंध में लोगों को शिक्षित किया जाए। अंत में उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि प्रस्तावित योजना की तैयार रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार यहाँ की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और काफी अच्छी पाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित खनन

उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित खनन कार्य 4–4 मीटर की तीन चरणों (स्टेप्स–बेंच) में किया जाएगा।यह खनन कार्य राज्य भूवैज्ञानिक द्वारा अनुमोदित खनन योजना (Mining Plan) के अनुसार ही किया जाएगा।

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी निम्नलिखित में कोई भी पत्र प्राप्त हुए है :

T-1919

- 1. श्री राज कुमार एवं अन्य, निवासी गांव कैलुआ, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), से प्राप्त प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में प्राप्त आपत्ति पत्र। प्रतिलिपि परिशिष्ट—॥ के रूप में संलग्न है।
- 2. श्री रोहित कटवाल पुत्र श्री के.पी. सिंह, ग्राम एवं डाकघर बढ़ेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, (हि.प्र.), से दिनांक 26.07.2025 को ईमेल द्वारा प्राप्त आपत्ति पत्र तथा उनके द्वारा दिनांक 28.07.2025 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से उपरोक्त आपत्ति पत्र को वापस लेने की सूचना। प्रतिलिपि परिशिष्ट—III के रूप में संलग्न है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने का धन्यवाद किया।

> महेन्द्र पाल गुर्जर अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)